न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–145/2013–14 अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश अधिनियम

श्रीमती महेश्वरी देवी

बनाम

श्री मुकेश कुमार एवं अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी : श्री एस0 के सुन्द्रियाल।

बावत

मौजा खाबलीसेरा, तहसील पुरोला,
जनपद उत्तरकाशी।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा निगरानी संख्या–04/2010–11 मुकेश कुमार आदि बनाम श्रीमती महेश्वरी देवी आदि एवं अपील संख्या–06/2013–14 मुकेश कुमार आदि बनाम श्रीमती महेश्वरी देवी आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 17–04–2014 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्ती श्रीमती महेश्वरी देवी द्वारा सहायक कलेक्टर, पुरोला के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। इस वाद में प्रतिवादी मुकेश कुमार द्वारा दिनांक 25–03–2011 को साक्ष्य हेतु तिथि दिये जाने का अनुरोध किया गया परन्तु प्रतिवादी मुकेश का प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर, पुरोला द्वारा आदेश दिनांक 25–03–2011 से प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, पुरोला द्वारा वाद में एकपक्षीय बहस सुनते हुए निर्णयादेश दिनांक 23–05–2011 से निगरानीकर्ती श्रीमती महेश्वरी देवी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया। सहायक कलेक्टर, पुरोला द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–03–2011 एवं निर्णयादेश दिनांक 23–05–2011 के विरूद्व प्रतिवादी मुकेश एवं अन्य द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष पृथक–पृथक निगरानी संख्या–04/2010–11 मुकेश कुमार आदि बनाम श्रीमती महेश्वरी देवी आदि तथा अपील संख्या–06/2013–14 मुकेश कुमार आदि बनाम श्रीमती महेश्वरी देवी आदि योजित की गई। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 17–04–2014 से निगरानी एवं अपील स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर, पुरोला द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–03–2011 एवं 23–05–2011 निरस्त करते हुए प्रकरण उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 17–04–2014 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ती ने सहायक कलेक्टर के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का प्रस्तुत किया था। निगरानीकर्ती सन् 1972 से अपने पति के साथ वादग्रस्त भूमि पर काबिज कास्त करती चली आ रही है। विपक्षी संख्या–1 व 2 की माता ने दिनांक 26–02–1988 को सशपथ बयान में यह स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि पर उसका कब्जा नहीं है। सहायक कलेक्टर के न्यायालय में प्रतिवादीगण को अनेकों तारीखे साक्ष्य हेतु दी गईं परन्तु उनके द्वारा बार–बार अवसर देने पर भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 25–03–2011 को प्रतिवादीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया और उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार गुणदोष के आधार पर दिनांक 23–05–2011 को निगरानीकर्ती के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। अपर आयुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना करते हुए कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण साक्ष्य के आलोक में नहीं किया गया है तथा एकपक्षीय आदेश है आदेश दिनांक 17–04–2014 पारित किया गया है। अपर आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा प्रतिवादीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर एकपक्षीय आदेश/डिक्री पारित की गई जिसके कारण वे अपना पक्ष एवं साक्ष्य विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सके। जिस दिन दिनांक 25–03–2011 को वाद साक्ष्य हेतु नियत था उस तिथि को मेगा लोक अदालत थी और इस कारण प्रतिवादीगण अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं इस तथ्य का प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया था परन्तु सहायक कलेक्टर द्वारा प्रतिवादीगण का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

मैंने विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 25–03–2011 एवं उस पर पारित सहायक कलेक्टर के आदेश दिनापंक 25–03–2011 का भी अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी मुकेश ने पूरे प्रदेश में मेगा लोक अदालत का आयोजन होने के कारण अपने अधिवक्ता के उपस्थित न हो सकने के कारण साक्ष्य हेतु तिथि दिये जाने का अनुरोध किया गया था परन्तु फिर भी सहायक कलेक्टर द्वारा प्रतिवादी का साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुकूल नहीं है। मैंने अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 17–04–2014 का भी अवलोकन किया। इस निर्णयादेश के पृष्ठ–2 के अन्तिम पैरा में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सहायक कलेक्टर द्वारा प्रतिवादी के साक्ष्य का अवसर समाप्त किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 25–03–2011 के विरूद्व प्रतिवादी मुकेश कुमार आदि ने निगरानी प्रस्तुत की थी जो दिनांक 30–04–2011 को सुनवाई हेतु स्वीकार की गई एवं अवर न्यायालय की पत्रावली अभियाचित की गई थी परन्तु वाद पत्रावली अभियाचन के पश्चात भी एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 23–05–2011 पारित किया गया जो कि विधिसम्मत नहीं है। यह न्यायालय विद्वान अपर आयुक्त के इस तर्क से पूर्णतया सहमत है कि वाद पत्रावली के अभियाचित होने के फलस्वरूप एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुकूल एवं विधिसम्मत नहीं है और प्रतिवादीगण को विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में विद्वान अपर आयुक्त के निर्णयादेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है और निगरानी बलयुक्त न होने के कारण अस्वीकार होने योग्य है।